कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. ४९२००२

क्रमांक / 861.2 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2024

रायपुर, दिनांकः 19.09.2024

// प्रवेश वर्ष 2024 MBBS & BDS की काउंसिलिंग हेतु आवश्यक सूचना//

प्रवेश वर्ष 2024 चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस/बीडीएस) पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अखिल भारतीय कोटे की द्वितीय काउंसिलिंग से आबंटन प्राप्त कर लिया है एवं राज्य काउंसिलिंग प्रक्रिया से अपना प्रवेश निरस्त/रद्द कराना चाहते है, तो उन्हें दिनांक 24.09.2024 के पूर्व अपने प्रवेशित संस्था में जाकर पलोचार्ट (संलग्नः फ्लोचार्ट) में दर्शायी गई प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा ताकि राज्य की द्वितीय काउंसिलिंग में उन्हें पुनः आबंटन न दिया जाये और उनके द्वारा जमा की गई पंजीयन राशि/सुरक्षा निधि राशि (Registration/ Security Deposit Money) को काउंसिलिंग उपरांत नियमानुसार वापस किया जा सके।

अन्यथा राज्य की द्वितीय काउंसिलिंग में आबंटन हो जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तथा प्रवेश लेकर सीट त्यागी जाती है तो उभ्यर्थी द्वारा जमा पंजीयन राशि / सुरक्षा निधि राशि (Registration/ Security Deposit Money) राशि राजसात (Forfeit) कर ली जायेगी।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

र्अध्यक्ष, काउंसिलिंग समिति, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

Process of resignation / withdrawal from admission

